



सरकार जनपद


13214
23

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

A J (Sd)



₹10

013214729306147V

Certificate No. : IN-UP72504729306147V
 Certificate Issued Date : 28-Jul-2023 12:57 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14351804/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1435180440207782870100V
 Purchased by : CHARAN BEDI ADVOCATE
 Description of Document : Article 24 Copy or Extract
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : CHARAN BEDI ADVOCATE
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : CHARAN BEDI ADVOCATE
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

 इस अधिकार स्वामी का संग्रह संग्रह
 दो रात्रि प्राप्ति किया गया
 28/7/23

IN-UP72504729306147V

28/7/23

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of discrepancy please inform the Competent Authority.

501402 9800/- 5000Rs



T.O / T.O
Collectorate



I. D. S. RATHORE as

Prabhari Adhikari (Sampati)

प्रभरी अधिकारी (सम्पति)
कामकाल विभाग कालिकाय
कालिकाय

प्रभरी अधिकारी (सम्पति)
कामकाल विभाग कालिकाय
कालिकाय

प्रभरी

१३२१

नकल सो
दउन किया
दउन छिया

संजकिय कोवार, लखनऊ

दिनांक १०.८.०१

म-८ ५००/..... अन्वेषणिक

ন য়... প্র-বিষ্ণু হে.../কৃষ্ণ...

३८ अंगुष्ठा विशेषज्ञ

असि० कैशिन०

४५६ शिष्य

Concrete

~~① 94877 / 974201~~

~~4620~~ 18 2000-2000

ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ୫୭

श्री शुभम्
पंडित नारायण

३१६

- 24 -

मृत्यु विवरण मृत्यु विवरण

मध्य गंगारा, २००५

[Signature]

तिष्णाता गैरान लार वारे उद्दारो मंजगुन सी
वारा

~~उक्त वी उमिलाडी दौड़ व कोटीतर किंवा उमडा
गोली दूड़ाव दौड़ ने रुक्कीर पिला। साथ
प्रा पुलोरेण वा गोली दौड़ाव~~

ପ୍ରକାଶକ

24-7-0

द्वितीय

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

₹ 3000/-

Rs 1000

(सत्यमव जयते)

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

LUCKNOW TREASURY

T. H. 1932

T.O. T.C. Corporate
Lucknow & Company Limited

- 2 -

Development Authority Lucknow

For and on behalf of the
Development Authority Lucknow
Sarkari Nizamai (Nizamti)
Sarkarai Rikas Bhawan
Sarkarai

..... 3

Development Authority Lucknow
Sarkari Nizamai (Nizamti)
Sarkarai Rikas Bhawan
Sarkarai

नकल सं 321
पठन किया
खल्म किया

पाहेली
लेस-2
१ लिनी
८७
८८ लिनी
८९

दस्तावेज़
२५.७.१२

दिशान
रोहि
(टीवी)

1000R

INDIA NON JUDICIAL

3000₹.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

LUCKNOW TREASURY

- 3 -

Cancelled

Lucknow

Seller and SRI AVINASH JAIN

age about 38 Years son of

SRI SHIKHAR CHAND JAIN & SMT

श्री शिखर चंद जैन / महिला
प्रधान दिवाली भवित्वरथ
लखनऊ

.....4

श्री शिखर चंद जैन / महिला
प्रधान दिवाली भवित्वरथ
लखनऊ



नंबर ३०३२
पठन किया
अवण किया

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

₹2000.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

५क हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

LUCKNOW THEATRE

T. NO. 1002 V

DATE 1/1/1951
Lucky No. 5

- 4 -

Crossed

SANGEETA JAIN age about 35

Years wife of SRI AVINASH JAIN

resident of House No.7, Lawrens

Teres Colony Lucknow as purchaser

प्रभारी अविनाशी (मास्ति)
लखनऊ विद्या शालिकरण
लखनऊ

.....5

प्रभारी अविनाशी (मास्ति)
लखनऊ विद्या शालिकरण
लखनऊ

नकल नं 1321
पठन किया
शुद्धि किया

1000R

INDIA NON JUDICIAL

₹ 3000.

RS 1000

सत्यमव्यजयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

- 5 -

Conceded

have executed the SALE DEED

in Respect of House No.7, situ-

ated in LAWRENS TERES COLONY

प्रधारी लॉरेन्स (मास्टर)
संखनक विहार प्राधिकरण
.....6.....
संखनक

प्रधारी लॉरेन्स (मास्टर)
संखनक विहार प्राधिकरण
संखनक

Covered

ग्रामीण

नकल संजुटी
यठन किया
अवण किया

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

RS 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

- 6 -

LUCKNOW in consideration of

sum of Rs. १६८७/- only.

on the terms and conditions

given in the printed SALE DEED

प्रभारी प्राप्ति (गम्भीर)
लखनऊ रिहाया प्राप्तिरप
..... 7 लखनऊ

प्रभारी - शिंगारी (गम्भीर)
लखनऊ रिहाया प्राप्तिरप
लखनऊ

नकल संग्रही
एवं न कियी
अद्य प्रक्रिया

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

R.S 500

सर्वमानविकास

प्राप्ति का संग्रह

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

- 7 -

FORM attached hereto with

Plan. "This deed is execu-

ted subject to the condition

that if at any stage it is

(प्राप्ति का संग्रह)
संस्थानक विभाग प्राधिकरण
संस्थानक

....8.

(प्राप्ति का संग्रह)
संस्थानक विभाग प्राधिकरण
संस्थानकनकल लो—
पठन किया—
भव्य किया—



- 8 -

established that the cost of con-

sideration was not actually fully

paid as was apparent from the depo-

sited receipts, the purchaser shall

A photograph of five fingerprinted evidence items, likely from a crime scene, arranged in two rows. The top row contains two items, and the bottom row contains three. Each item is a dark, textured object, possibly a key or piece of metal, with its unique fingerprint pattern visible. Red ink has been used to draw circles around specific areas of interest on each item, and black lines connect these circled areas to corresponding labels written in red ink above them. The labels include 'key 1', 'key 2', 'key 3', 'key 4', and 'key 5'.

प्राप्ति द्वारा दिया गया अधिकार
क्षमता द्वारा दिया गया अधिकार
सुधानक

• ४०८ •

नकल संग्रह
पत्र किया—
भवण किया—

100Rs



- 9 -

be responsible to pay the balance
amount to Lucknow Development Authority
Purchaser.

For Seller,
Prabhari Adhikari (Sampati)
Development Authority Lucknow

1-Witness :- (U.S. Sezairi)
Address :- L. D. A. Lucknow

2-Witness :- (Umakant Tripathi)
Address :- Umakant Tripathi
555 KAT 110/13 Bholakhana Subhas Nagar
Yojna Sahayak/vilekh tayyarkarta :- Lambaghani

typed by :-

प्राप्ति किया
पुनर किया
अद्वय किया

13216



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विक्रय / पट्टा विलेख

यह विलेख राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974 के अधीन गठित निकाय लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, 6, नगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ के माध्यम से) जिसे कि इस विलेख में आगे विक्रेता / पट्टाकार्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासकों, अधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशियों से लिया जायेगा।

प्रथम पक्ष

श्री / श्रीमती / कुमारी

वर्ष पुत्र / पत्नी / पुत्री

श्री

अनीना जी एवं राजीता जी

उम्र लगभग 35 वर्ष का 35 वर्ष

निवासी

लखनऊ ज़िले

पट्टा विलेख

जिसे कि इस विलेख में आगे क्रेता / पट्टेदार कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता / पट्टेदार स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशियों से लिया जायेगा। द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

चूंकि शासनादेश दिनांक 16 जून, 1993 के द्वारा समस्त इम्प्रूवमेन्ट ड्रस्ट द्वारा बनवाई गई और किराये पर उठाई गई सम्पत्तियाँ, जो बाद में विकास प्राधिकरण के गठन पर, विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुई एवं विकास प्राधिकरण द्वाया स्वयं बनवाई गई और किराये पर उठाई गई अमितव्ययी सम्पत्तियों के निरस्तारण हेतु भवन का विक्रय करने तथा तत्सम्बन्धित भूमि को कुछ निश्चित नियम एवं शर्तों के अधीन 30 वर्ष के पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था की गई है तथा तत्सम्बन्धित शासनादेशों पर विचार करने के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति द्वारा तदनुसार नियम एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा किराये पर आवान्ति आवासीय / अमितव्ययी व्यवसायिक / सम्पत्तियों के विक्रय / पट्टा हेतु पंजीकरण पुस्तिका जारी की गई है।

चूंकि द्वितीय पक्ष इम्प्रूवमेन्ट ड्रस्ट / लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई सम्पत्ति जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है, के भूतल / प्रथम तल / द्वितीय तल में 100 रुपया प्रति माह का किरायेदार है तथा किराये पर उठाई गई अमितव्ययी के हेतु जारी की गई पंजीकरण पुस्तिका के नियमों के अनुसार 100 रुपया का वैक ड्राफ्ट / पे आर्डर बैकर चेक संख्या 098639 जो कि

अधारी अधिकारी (वाक्यान्त्र)

बहनऊ विकास प्राधिकरण

सचिव

32

(2)

संख्यक अधिकारी

कृपालू बैंक शाखा के द्वारा दिनांक 24-2-97 को जारी किया गया है। उसे सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम दिनांक 27-2-97 को प्रेषित कर दिया है तथा आयदन-पत्र साथ में संलग्न कर दिया है तथा शपथ-पत्र देते हुए पट्टाकर्ता/विकेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को विश्वास दिलाया है कि वह प्रश्नगत सम्पत्ति को क्य करने में तत्सम्बन्धित भूमि को पट्टे पर लेने हेतु एकमात्र व्यक्ति है एवं वही समय-समय पर जारी किये गये नियम एवं शर्तों का यथावत पालन करता रहेगा।

चूंकि निर्धारित नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष की किरायेदारी बाले निर्मित आवास/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का गणना द्वारा 36.87.77/- रु० मूल्य निर्धारित किया गया है व उक्त इकाई के साथ तत्सम्बन्धित 30 वर्षीय पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का प्रीमियम मूल्य 15/- रुपया निर्धारित किया गया है। जिसका लीजरेन्ट प्रतिवर्ष 15/- रुपया होगा तथा क्रेता/द्वितीय पक्ष ने प्रश्नगत सम्पत्ति जो कि इस विलेख के माध्यम से विक्रीत अन्तरित की जा रही है उसका सम्पूर्ण विक्रय मूल्य 15/- व प्रीमियम शुल्क तथा 10 वर्ष का एक मुश्त लीजरेन्ट जमा कर दिया गया है। जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है।

अतः यह विक्रय पत्र व पट्टा विलेख निम्न प्रकार से संदर्भित करता है

1. यह कि उपरोक्तानुसार मूल्य प्राप्त करने के फलस्वरूप विक्रेता/पट्टाकर्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण एतद्वारा प्राविधिकरण करता है और लिखे देता है कि उपरिलिखित सम्पत्ति इकाई संख्या 151-5512 रखा 151-5512 वर्गफुट जो कि 36.87.77/- रुपया में एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल भवन के रूप में एकल/संयुक्त रूप से पृथक-पृथक निर्मित है तथा जिसे इस विलेख के साथ में संलग्न मानचित्र में निर्मित को लाल रंग से दर्शाया गया है तथा जिसका विस्तृत विवरण विलेख के अन्त में सम्पत्ति अनुसूचि के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उस निर्मित इकाई टेनामेन्ट को पूर्ण रूप से क्रेता के पक्ष में सदैव के लिए विक्रय कर दिया गया है तथा टेनामेन्ट/भवन सम्बन्धी पूर्ण रवानित्वाधिकार क्रेता को सौंप दिये गये हैं। क्रेता के लिए यह उचित होगा कि वह अपने नाम से नगर महापालिका तथा अन्य आवश्यक रथानों पर अपना नाम दाखिल-खारिज करवाये तथा भवन कर, विद्युत कर अथवा किसी अन्य देय शुल्क/कर जो विधि अनुरूप निर्धारित किया जाये उसकी अदायगी करे।

2. यह कि टेनामेन्ट के खामी द्वारा निर्मित इकाई से सबद्ध भूमि जिसका क्षेत्रफल 151-5512 वर्गफुट है। उसके प्रीमियम मूल्य रु० 36.87.77/- (रु० 151-5512 रु० 151-5512) दु एक मुश्त 15/- वर्ष का लीजरेन्ट के फलस्वरूप 30 वर्षीय पट्टे पर एतद्वारा आवन्ति करते हुए यह पट्टा विलेख निर्धारित कर दिया गया है।

3. यह कि क्रेता उक्त टेनामेन्ट में किरायेदार होने, नामित होने के कारण पहले से ही अध्यासन में है तथा इस विलेख द्वारा विक्रीत/अन्तरित सम्पत्ति का संवैधानिक कब्जा भी आज दिनांक 151-5512 से नामित करने वाले मूल किरायेदार द्वारा उसे सौंप दिया गया है। क्रेता/पट्टेदार इस हेतु वचनबद्ध है कि आगे प्रत्यरो में उल्लिखित नियम शर्त तथा प्राविधिकारों का वह पालन करता रहेगा तथा कई इकाई होने की रिति में संलग्न अथवा ऊपर नीचे की इकाई हेतु प्राकृतिक न्याय को दृष्टि में जो सहयोग अपेक्षित होगा उसे किया जायेगा।

धमारी अधिकारी / अधिकारी
बखनक विकास प्राधिकरण
बखनक

साहनक विकास प्राधिकरण

लक्ष्मण

अ. ३१

(3)

4. यह कि प्राविधान यह है कि मुख्य मार्ग से आवागमन के राते व जीने का रथामित्व किसी एक पक्ष के पास पूर्णतः नहीं रहेगा। यदि प्रथम तल पर संयुक्त रूप से निर्भित भवन में दो आवासीय इकाइयाँ होंगी तो दोनों लोगों के उक्त आवागमन का मार्ग एवं जीने पर सामान्य अधिकार एवं सामान्य उत्तरदायित्व रहेगा। इसी प्रकार से द्वितीय तल निर्भित होने की स्थिति में उक्त तलवाओं भी आवागमन के मार्ग व जीने में सामान्य रूप से भागीदारी एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु बाध्य होगा।

5. यह कि प्रथम तल एवं द्वितीय तल स्थिति निर्भित इकाई का विक्रय करने के फलस्वरूप यद्यपि रथामित्व सम्बन्धी समर्त अधिकार क्रेता में निहित कर दिये गये हैं परन्तु ऊपरी छत पर स्थायी रूप से निर्माण कराने के लिये कोई भी पक्ष अधिकृत नहीं होगा। प्राविधान यह भी है कि जिस योजना में दो या तीन या कई जितने भी भवन प्रथम तल पर पृथक् इकाई के रूप में निर्भित हैं इन सभी इकाइयों को अपनी-अपनी छत पर प्रयोग करने का सामान्य अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् यदि दो भवनों की इकाई है तो पूरी छत के आधे हिस्से का प्रयोग एक इकाई तथा शेष आधे हिस्से का प्रयोग दूसरी इकाई के द्वारा किया जायेगा। इसी के साथ-साथ रूप से प्राविधान यह है कि उक्त छत को प्रयोग करने के लिये अधिकारिक रूप से भूतल निवासी किसी भी रूप में अधिकृत नहीं होगा। इस क्रम में प्राविधान यह भी किया जाता है कि यदि कोई भवन दो मंजिला के बजाय तील मंजिला निर्भित हो तो भूतल को छोड़कर प्रथम तल व द्वितीय तल निवासी उक्त सर्वोच्च छत में से आधे-आधे भाग को प्रयोग करने के लिये अधिकृत होंगे।

6. यह कि सर्विस-लेन का आवंटन नहीं किया गया है अतः भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के किसी भी निवासी को सर्विस-लेन पर किसी प्रकार का रथाई अथवा अरथाई निर्माण करने तथा उसे अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।

7. यह कि किसी तल के निवासी द्वारा भवन में कोई भी निर्माण विकास प्राधिकरण से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही रखीकृत मानचित्र के अनुसार करा सकेगा। बिना अनुमति के प्रश्नगत भवन के कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी पक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना कोई निर्माण कराया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये पक्षकार स्वयं जिम्मेवार होगा। जो निर्माण वर्तमान समय में निर्भित के रूप में विक्रय किया गया है उसे इस विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। यदि कोई पक्ष निर्माण करना चाहे तो उसके लिए प्राधिकरण और भवन के राह स्वामी की अनापत्ति भी आवश्यक होगी। ऊपरी छत पर किसी प्रकार का कोई स्थायी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

8. यह कि भवन क्रेता पालिका करें, शुल्कों व अन्य देयों के लिये उत्तरदायी होगा।

9. यह कि सभी भवन जैसे हैं जहाँ है के सिद्धान्त पर विक्रय किये गये हैं। कोई भी क्रेता इस सम्बन्ध में अथवा भवन की स्थिति/हालत के सम्बन्ध में विक्रेता/लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई शिकायत करने अथवा उसके विरुद्ध कोई उपराम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

10. यह कि भूतल के ऊपर स्थित सभी तलों के निवासियों का यह कर्तव्य होगा कि किसी प्रकार की सीधर/वाटर लाइन में टूट-फूट या रिसाव न आने दें तथा ऐसा होने पर तुरन्त अपने तल की ऊचाई तक प्रत्येक तलवासी अपने पैरों से उसकी भली-भाँतिमरम्मत करवाने के लिए बाध्य होगा। यदि विजली-कनेक्शन/टेलीफोन कनेक्शन अथवा अन्य किसी भी नियमानुसार कनेक्शन लिये जाने हेतु सीढ़ी लगाने की अथवा अरथायी रूप से भूमि पर से आधार लेने की आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति में भूतल वासी कोई आपत्ति नहीं करेगा तथा ऊपरी तल स्थित कार्य एवं नरम्मत में अधिकतम सहयोग करेगा।

धनारी विज्ञानी /गणना

स्वानुक्रमित विज्ञानी

स्वानुक्रमित

नकल सं०

पठन किया—
अवण किया—

32

11. यह कि किसी भी तल का कोई भी निवासी विक्रीत इकाई में किसी प्रकार को कोई एकसप्लोसिव न तो प्रयोग में लायेगा और न किसी को प्रयोग करने की कोई अनुमति ही लागा।

12. यह कि भूतल से ऊपर के निवासी की इकाई का क्षेत्रफल जितना होगा वह केवल आच्छादित क्षेत्रफल की भूमि के लिए ही अधिकृत होगा। आवागमन का मार्ग तथा जीना इत्यादि किसी के स्वामित्व में एकमात्र रूप से नहीं रहेगा तथा उक्त मार्ग पर कोई निवासी किसी प्रकार की कोई वाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

13. यह कि भूतल से ऊपर का कोई भी निवासी अपनी फर्श पर किसी प्रकार की कोई ऐसी चोट नहीं पहुँचायेगा जिससे कि भवन निर्माण को किसी प्रकार की क्षति पहुँच अथवा कोई नुकसान हो।

14. यह कि पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भूतल, के ऊपर निर्मित इकाई केवल उतने क्षेत्रफल भूमि के लिए अधिकृत होंगे जितना क्षेत्रफल निर्मित अवरथा में विक्रय किया गया है व उन्हें भूमि का पटटा किया गया है। परन्तु उक्त भूमि के अतिरिक्त भूतल पर अन्य जो भी भूमि, लाँच इत्यादि होगा वह सब भूतल वासी के प्रयोग एवं पट्टे के अन्तर्गत रहेगा।

15. यह कि आस विक्रय/पट्टे अभिलेख से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाली समरत प्रकार के विवादों की सुनवाई एवं निरसारण का क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ रिथत न्यायालयों को ही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर न्यायालय अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत की गई शिकायत का निरसारण किसी अन्य स्थान पर रिथत न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई पक्ष किसी अन्य स्थान पर वाद अथवा शिकायत संरिथत करे तो वह वाद इस विलेखमें अंकित इस प्रत्यक्ष के प्रकार में न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर निरस्त कर दिया जाय। इस हेतु दोनों पक्षकार सहमत हैं।

16. यह कि एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में जहाँ कहीं भी विक्रय विक्रेता अथवा ग्रंथ इत्यादि का उल्लेख किया गया है वह केवल निर्मित स्थल/टेनामेन्ट से ही सम्बन्धित है। उसका भाव किसी भी रिथति में पट्टे पर दी गयी भूमि से सम्बन्धित नहीं समझा जायेगा।

17. यह कि विक्रीत/अन्तरित सम्पत्ति वार्ड.....टरार्टेटर.....में रिथत है।


18. यह कि इस विलेख पर स्टैम्प शुल्क की अदायगी हेतु मूल्यांकन निम्न प्रकार से है :-

(क) निर्मित टेनामेन्ट का विक्रय मूल्य २८५२२ रु०। तत्सम्बन्धित पट्टे पर आवन्ति भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य..... २० रु०। एकमुश्त जमा किया गया लीजरेन्ट..... २० रु०। इस प्रकार सबको मिलाकर मूल्यांकन..... २० होता है।

(ख) यह कि अन्तरित/विक्रीत सम्पत्ति २० रु० प्रतिमाह किराये पर आवन्ति औ जिसका 300 गुण किये जाने पर मूल्यांकन २० होता है।

अतः अधिकतम मूल्यांकन पर स्टैम्प शुल्क की अदायगी कर दी गई है।

अतः प्रमाणपत्र के तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रभारी अधिकारी व क्रेता/पट्टेदार की तरफ से रवयं उसने/उसके द्वारा अधिकृत मुख्तार ने अपने स्वरथ दित्त होकर साक्षियों की उपरिथत में इस विलेख में दर्शित नियम एवं शर्तों के स्वीकृत स्वरूप 6, जे० सी० बोस मार्ग, लखनऊ में अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर दिनांकित किया।



Concert

मात्रा दिनांक 24/7/2002

गुरुतवा

दृष्टि 841/368

गर राजिरहा

3/84
5072/-

उप निकाय क. (लिखित)

नामांकन

छाया प्रसि प्रमाणित

उप निकाय क. (लिखित)
लखानऊ

28/7/23